न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या :— 16/2019

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**

1. छीतरराम पुत्र हिम्मताराम के कायम मुकाम :—
   - 1/1 राकेश पुत्र स्व.छीतरराम
   - 1/2 सुनील पुत्र स्व.छीतरराम
   - 1/3 अभिषेक पुत्र स्व.छीतरराम
   - 1/4 टीलाराम पुत्र छीतरराम
   - 1/5 श्रीमति रामकंवरी पत्नी छीतरराम सभो जातियान सरगरा निवासीगण ग्राम कालाउना तहसील बिलाडा
2. चैनाराम पुत्र हराराम के कायम मुकाम :—
   - 2/1 भूराराम पुत्र स्व. चैनाराम
   - 2/2 नाथूदेवी पुत्री स्व. चैनाराम
   - 2/3 पपलीदेवी पुत्री स्व. चैनाराम
   - 2/4 मीरादेवी पत्नी स्व. चैनाराम सभी जातियान सरगरा निवासोगण ग्राम कालाउना तहसील बिलाडा
3. कमला पत्नी मालाराम जाति सरगरा निवासी कालाउना तहसील बिलाडा

बनाम

1. घेवरराम पुत्र मंगलाराम जाति कुम्हार निवासी कालाउना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. भूमिधारी तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251—A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— प्रार्थीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 को ओर से श्री अशोक कुमार पटेल एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 2 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :—**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कालाऊना तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 1.9901 हेक्टेयर आई हुई है। यह भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 1.9901 हेक्टेयर के उतर—पश्चिम दिशा की ओर खसरा नम्बर 459/1 रकबा 0.9384 हेक्टेयर भूमि स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की है व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि के पूर्वी दिशा की ओर एक माठ कायम [illegible] के रूप में उपयोग व उपभोग में आ रही है। ग्राम कालाऊना की सरहद में खसरा नम्बर 459/1 रकबा 0.9384 हेक्टेयर के पश्चिम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:54:04 IST
Reason: SelfAttested

दिशा की ओर ग्राम कालाऊना से ग्राम झाक जाने वाला खसरा नम्बर 421 रकबा 1.6180 हेक्टेयर गैर मुमकीन रास्ता आया हुआ है, उक्त गैर मुमकीन रास्ते पर डामरीकरण की सड़क बनी हुयी है। ग्राम कालाऊना से ग्राम झाक जाने वाला डामरीकृत सड़क के ठीक पूर्वी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 01 अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 459／1 रकबा 0.9384 हेक्टेयर मे काश्त कार्य करने हेतु पहुचता है, इसी प्रकार प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 1.9901 हेक्टेयर में काश्त कार्य करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 459／1 रकबा 0.9384 हेक्टेयर में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. स्थित आम रास्ता से होकर आते जाते है तथा इसी ए. बी.सी.डी. के रास्ते से प्रार्थीगण अपना ट्रेक्टर, मोटर साईकिल, छकड़ा आदि के साधन लेकर जाते है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 458 में कृषि कार्य आदि करने हेतु का यहा एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है, जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 459／1 के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग के आम रास्ते को उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 458 में जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 459／1 के ए.बी.सी.डी. भाग से ही भूमि खसरा नम्बर 458 में जाने हेतु प्रार्थीगण अपने ट्रेक्टर, मवेशी, छकड़ा इत्यादि लेकर जाते है। इस प्रकार प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 459／1 के ए.बी.सी.डी. भाग के आम रास्ते का उपयोग कई वर्षो से उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे ह, इस कारण प्रार्थीगण को भूमि खसरा नम्बर 459／1 के ए.बी.सी.डी. भाग के रास्ते को राजकीय रास्ता घोषित करवाने के अधिकारी है। भूमि खसरा नम्बर 459／1 के ए.बी.सी.डी. भाग की भूमि पर चल रहे आम रास्ते को अप्रार्थी संख्या 1 बन्द करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को आम रास्ते की भूमि पर अवरोध पैदा करने से नही रोका गया तो प्रार्थीगण को अपने खेत की बुवाई व काश्त कार्य से वंचित करने से भारी समस्या पैदा हो जायेगी, जिससे प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के सदस्यों का जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जायेगा, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही होगा। प्रार्थीगण का यह ए.बी.सी.डी. मार्क का रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध खसरा नम्बर 459／1 में स्थित ए.बी.सी.डी. मार्क के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज कराने हेतु व नक्शा ट्रेस में रास्ते को तरमीम करवाने हेतु का यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। ग्राम कालाऊना तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 467 गै.मु. रास्ता मौके पर विद्यमान नही है। यानि खसरा नम्बर 467 गै.मु. रास्ता की भूमि को खसरा नम्बर 448, 448／1, 447, 472, 471, 470, 468 के खातेदारों ने सेटलमेन्ट के समय से अपनी भूमि में मिला दिया है, मौके पर कोई रास्ता का अस्तित्व नही है। इसके अलावा भी खसरा नम्बर 467 गै.मु. रास्ता के उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर अन्य ग्राम झाक की सरहद शुरू हो जाती है। भूमि खसरा नम्बर 467 गै.मु. रास्ता के उतरी पूर्वी दिशा की ओर अन्य ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 797, 798, 799, 808, 809, 810 स्थित है, जो भूमि खसरा नम्बर 797 कूकली पुत्री अनोपाराम मेघवाल वगैराह की, खसरा नम्बर 798 नारायणराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:54:04 IST
Reason: SelfAttested

पुत्र गोपाराम मेघवाल की, खसरा नम्बर 799 ओगड़राम पुत्र हरीराम मेघवाल की, खसरा नम्बर 808 जसोदी पत्नी जोगाराम मेघवाल वगैराह की, खसरा नम्बर 809 कानाराम पुत्र भूराराम कुम्हार की, खसरा नम्बर 810 कालीदेवी पत्नी पाबूराम कुम्हार वगैराह की खातेदारी की आयी हुयी है। इस कारण ग्राम झाक की भूमि खसरा नम्बर 797, 798, 799, 808, 809, 810 की खातेदारी भूमि काकण माठ पर आ जाने के कारण खसरा नम्बर 467 गै.मु. रास्ता का उपयोग उपभोग कभी नही रहा है। खसरा नम्बर 458 में प्रार्थी को खसरा नम्बर 797, 798, 799, 808, 809, 810 की खातेदारी भूमि में से अगर गुजरना पड़ेगा तो करीब 7 कि.मी. दूरी तय करनी पड़ेगी। इस कारण प्रार्थी का न्यूनतम दूरी का सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 421 गै.मु. रास्ता है जो सबसे नजदीक है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 459/1 रकबा 0.9384 हेक्टेयर में स्थित ए.बी.सी.डी. मार्क की 30 फुट रास्ते की नियमानुसार मुआवजा फीस देने को तैयार है।

अन्त में निवेदन किया कि ग्राम कालाऊना तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 1.9901 हेक्टेयर में प्रार्थीगण को काश्त कार्य करने के लिए जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 459/1 रकबा 0.9384 हेक्टेयर के ए.बी.सी.डी. भाग से होकर रास्ता निकलता है, जो खसरा नम्बर 458 में पहुॅचता है, जिसको प्रार्थीगण हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में उपयोग व उपभोग में लेता है, जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किये जाने का आदेश फरमावे तथा राजकीय रास्ते का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावें। खसरा नम्बर 459/1 रकबा 0.9384 हेक्टेयर में स्थित ए.बी.सी.डी.मार्क के रास्ते को राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 1.9901 में स्थित आने–जाने वाले भूमि खसरा नम्बर 459/1 के ए.बी.सी.डी. भाग वाले आम रास्ते पर किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध पैदा नही करे तथा न ही अपने एजेन्ट या नौकर आदि से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में ग्राम कालाऊना की सरहद में स्थित भूमि खेत खसरा नम्बर 458 रकबा 1.9901 हैक्टेयर का प्रस्तुत किया है जो की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है तथा उक्त खसरान की भूमि प्रार्थीगण का हिस्सा स्थित है, जिसका मौके पर व रेकर्ड में बंटवाड़ा भी नही हो रखा है। जिसके आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मात्र इस आधार पर भी दोषपूर्ण है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया है कि खसरा नम्बर 459/1 के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग की भूमि पर चल रहे आम रास्ते को अप्रार्थी संख्या 1 बंद करने पर आमादा है। जबकि रास्ते के अवरोध के संबंध में विवाद धारा 91 (सी) के अन्तर्गत एस.डी.ओ. व तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:34:04 IST
Reason: SelfAttested

को शक्तियॉ प्राप्त है धारा 27 के अन्तर्गत अन्तनिर्हित शक्तियों का उपयोग नही किया जा सकता जब तक वैधानिक उपचार उपलब्ध हो इस हतु प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का कानूनी रूप से दोषपूर्ण होने से मात्र इसी आधार पर अस्वीकार किये जाने योग्य है। ग्राम कालाऊना की सरहद में स्थित खसरा संख्या 467 गै.मु. रास्ता है जो रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 458 के पश्चिम दिशा में स्थित है उक्त रास्ते की भूमि को प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे है। जो वक्त सेटलमेन्ट के समय से सभी खातेदार उपयोग में लेते चले आ रहे है। जब प्रार्थी के पास खेत में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता स्थित है तो वह नये रास्ते की मांग नही कर सकता यदि उक्त रास्ते की भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर अवरोध किया गया है तो उक्त विवाद धारा 27 (सी) के अन्तर्गत एस.डी.ओ. व तहसीलदार को शक्तिया प्राप्त है धारा 27 के अन्तर्गत अन्तर्निहित शक्तियों का उपयोग नही किया जा सकता जब तक वैधानिक उपचार उपलब्ध हो इस हेतु प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का कानूनी रूप से दोषपूर्ण होने से मात्र इसी आधार पर अस्वीकार किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 प्रार्थी स्वयं साबित करे। पद संख्या 2 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का पद संख्या 2 में यह लिखना गलत है कि खसरा संख्या 459/1 रकबा 0.9384 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि के पूर्वी दिशा की ओर एक माठ कायम की हुई है, जो माठ एक रास्ते के रूप म उपयोग व उपभोग में आ रही है जबकि सही तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण के खेत को प्रार्थीगण ने रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग में लिया है। यहा यह भी उल्लेख करना अति आवश्यक है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य धोरा लगा हुआ है व प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 458 के पश्चिम दिशा में स्थित खसरा नम्बर 467 गै.मु. रास्ता से पीढियों से जाते है एवं इस रास्ते से होकर प्रार्थीगण के खेत में जाते थे। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। पद संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का इस पद में यह लिखना गलत है कि भूमि खसरा नम्बर 459/1 रकबा 0.9384 हैक्टेयर में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. के रास्ते से प्रार्थीगण अपना ट्रेक्टर, मोटर साईकिल, छकड़ा आदि के साधन लेकर जाते है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 458 में कृषि कार्य आदि करने हेतु का यही एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है। ''जबकि सही तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य धोरा देकर पुरानी तारबन्दी की हुई है व प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 458 के पश्चिम दिशा में स्थित खसरा नम्बर 467 गै.मु रास्ता की भूमि से पीढियों से जाते है एवं इस रास्ते से होकर प्रार्थीगण के खेत में जाते थे। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से खारिज किये जाने योग्य है। पद संख्या 4 में वर्णित तथ्य गलत है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि में जाने का वैकल्पिक रास्ता 467 मु. रास्ता चलता है एवं इस रास्ते से होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:54:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण के खेत में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता स्थित है। इसलिए प्रार्थीगण कोई नया रास्ता घोषित करवाने का अधिकारी नही है। पद संख्या 5 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य तारबन्दी की हुई है व प्रार्थीगण प्रारम्भ से ही अपने खेत खसरा नम्बर 458 के पश्चिम दिशा में स्थित खसरा नम्बर 467 गै.मु रासता की भूमि से आते जाते है। प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के खेत में कभी कोई रास्ता नही रहा है और न ही आज दिन तक मौके पर है। इसलिए प्रार्थागण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। पद संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का इस पद में यह लिखना की खसरा नम्बर 467 गै.मु रास्ता की भूमि को अन्य खातेदारान ने अपने खेत में मिला दिया है। यहा यह भी लिखना अति आवश्यक है कि यदि कोई रास्त की भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो उसको खुलवाने के लिए सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर खुलवा सकता है। उसके लिए नया रास्ता लेने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मात्र इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

मौजूदा मामला धारा 251 ए राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्तर्गत होने से अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार बिलाड़ा को माका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश की गयी जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 458 में आने जाने हेतु खेत के दक्षिण पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 458 से चिपता राजस्व नक्शे व राजस्व रेकर्ड अनुसार रास्ता मौजूद है जिसके खसरा नम्बर 467 रकबा 0.4773 किस्म गै.मु. रास्ता है जो ग्राम पंचायत कालाऊना के खाते में दर्ज है। परन्तु वर्तमान में यह रास्ता मौके पर बंद है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता राजस्व रेकर्ड मौजूद खसरा नम्बर 467 गै.मु. रास्ता को छोड़कर सबसे नजदीकी रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर कच्चा/पक्का निर्माण नही किया हुआ ह। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते का रकबा खसरा संख्या 459/1 में प्रस्तावित 00.06 बीघा बनता है जिसकी डी.एल.सी. दर 172498/- रूपये बनती है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि सिंचित है।

हमने प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु खसरा नम्बर 459/1 के मार्क ए.बी.सी.डी. से रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु इस न्यायालय द्वारा लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा ने मौका रिपोर्ट पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:54:04 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी व अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ताओं व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से तथा मौका निरीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 458 में आने–जाने हेतु मौके पर रेकर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 467 पहले से ही मौजूद है, मौका रिपोर्ट में भी यह बताया गया कि उक्त रास्ते पर अतिक्रमण किया हुआ है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'ए' के तहत नया रास्ता उसी शर्त पर दिया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के खेत में आने जाने हेतु कोई भी रास्ता राजस्व रेकर्ड में मौजूद ही न हो, जबकि उक्त प्रकरण में रेकर्ड में गै.मु. रास्ता प्रार्थी के खेत के चिपता अंकित है प्रार्थी को इन सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होते हुए भी प्राथी ने खसरा नम्बर 467 गै.मु. रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत् किसी प्रकार की कार्यवाही नही की। जबकि किसी भी बंद रास्ते को खुलवाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में स्पष्ट प्रावधान किये हुए है, जिसके अन्तर्गत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बंद रास्ता को खुलवाया जा सकता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई प्रार्थना पत्र व शिकायत भी प्रस्तुत नही की है कि पूर्व में खसरा नम्बर 467 पर अतिक्रमण हटवाने बाबत् कोई कार्यवाही की हो, यदि उक्त भूमि पर अतिक्रमण होता तो प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के साथ उक्त दस्तावेज भी अवश्य रूप से प्रस्तुत करता। इसके अलावा प्रार्थी कानूनन सिविल न्यायालय में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त बंद रास्ते को खुलवा सकता है। लेकिन प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'ए' के तहत प्रस्तुत किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के खेत में जाने का रेकर्डेड रास्ता पहले से ही मौजूद है इसकारण नया रास्ता दिये जाने का कोई औचित्य नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:54:04 IST
Reason: SelfAttested